Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar Raipur – 492001 (C.G.)
Ph.0771-4073568, Fax 4073553
Website *www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in*

NOTICE FOR PUBLIC HEARING ON TARIFF PETITION

The State-owned power companies i.e. Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd. (CSPGCL), Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. (CSPTCL) & Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd. (CSPDCL) have submitted petitions for determination of tariff & true-up under Section 86(1)(a) of the Electricity Act, 2003 (the Act) and Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to read Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021. Also, Chhattisgarh State Load Despatch Center (SLDC) has submitted petition under Section 32(3) of the Act for determination of fee and charges for FY 2025-26 and true-up of FY 2023-24. The details of aforesaid petitions are as given in table below:

S. No.	Petition No.	Petitioner	In the matter of	Date of gist publication
1.	95 of 2024	CSPGCL	True up for FY 2023-24	13/12/2024
2.	96 of 2024	CSPTCL	True up for FY 2023-24 and determination of transmission tariff for FY 2025-26	18/12/2024
3.	97 of 2024	CSLDC	True up for FY 2023-24 and determination of SLDC fee and charges for FY 2025-26	14/12/2024
4.	98 of 2024	CSPDCL	True up for FY 2023-24, Determination of ARR for FY 2025-26 and retail tariff for FY 2025-26	13/12/2024 18/04/2025

In addition to above, CSPGCL, CSPTCL, CSLDC and CSPDCL have also filed petition for approval of Capital Investment Plan (CIP) for FY 2025-26 before the Commission. The details of these petitions are given in table below:

S. No.	Petition No.	Petitioner	In the matter of	Date of gist publication
1.	99 of 2024	CSPGCL	Approval of CIP for FY 2025-26	13/12/2024
2.	100 of 2024	CSPTCL	-do-	18/12/2024
3.	101 of 2024	CSLDC	-do-	14/12/2024
4.	102 of 2024	CSPDCL	-do-	13/12/2024

The Commission has decided to hold a public hearing on these petitions in the Commission's court room at Raipur on the dates and times specified below:

Date	Time of hearing	Consumer category
19/06/2025 (Thursday)	**12:00 PM to 1:30 PM**	**Agriculture & Agriculture allied activities**
	2:30 PM to 3:30 PM	**Domestic**
	3:30 PM to 5:00 PM	**Non-Domestic**
20/06/2025 (Friday)	**12:00 PM to 1:30 PM**	**Local bodies, Municipal Corporation and Trade Union and others**
	2:30 PM to 3:30 PM	**L.V. Industry**
	3:30 PM to 5:00 PM	**All HV**

Also, public hearing on following petitions shall be done along with the above-mentioned petition as per above schedule for respective consumer category;

S. No.	Petition No.	Petitioner	In the matter of	Date of gist publication
1.	55/2024	CG Solar Power Generators Association	Rationalization of transmission charges applicable to solar generators which have achieved COD after 27/12/23.	15/01/2025
2.	87/2024	Central Cement Industries	Rationalization of transmission charges applicable to solar generators which have achieved COD after 27/12/23.	18/01/2025
3.	91/2024	CSPDCL	Additional CIP for the Control period from FY 2022-23 to FY 2024-25.	13/12/2024
4.	75/2024	CSPDCL	Review of tariff order for FY 2024-25 dated 01.06.2024	13/12/2024

Petitioners have published public notice in newspapers on dates mentioned above for inviting objections/suggestions on the above petitions. Petitions are available on the Commission's website i.e. www.cserc.gov.in and petitioner's websites since the date of publication of notice. Though sufficient time has been given to stakeholders/public for filing objections/suggestions on above petitions, stakeholders may still file their objections/suggestions till the date of hearing.

Interested parties may also appear before the Commission as per above schedule to present objections/suggestions. Any person who wishes to make presentations during the hearing must give advance notice to the Commission's Secretary. Changes in hearing schedule, if any, shall be updated on the Commission's website www.cserc.gov.in.

Secretary

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्र. 0771–4073568 फैक्स 4073553
वेबसाईट *www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in*

टैरिफ याचिकाओं पर जन–सुनवाई हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 86(1)(a) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के अन्तर्गत राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियाँ छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्या. (CSPGCL), छ. ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. (CSPTCL) एवं छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. (CSPDCL) द्वारा ट्रू–अप एवं टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 32(3) के अन्तर्गत छ.ग.राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा वर्ष 2023–24 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2025–26 हेतु प्रभार के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। उक्त याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

अ. क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	संक्षिप्त विवरण	सरांश के प्रकाशन का दिनांक
1.	95/2024	CSPGCL	वर्ष 2023–24 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2025–26 की जनरेशन टैरिफ	13 / 12 / 2024
2.	96/2024	CSPTCL	वर्ष 2023–24 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2025–26 हेतु ट्रान्समिशन टैरिफ निर्धारण	18 / 12 / 2024
3.	97/2024	CSLDC	वर्ष 2023–24 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2025–26 हेतु SLDC प्रभार का निर्धारण	14 / 12 / 2024
4.	98/2024	CSPDCL	वर्ष 2023-24 का ट्रू–अप, वर्ष 2025-26 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन,एवं वर्ष 2025-26 हेतु खुदरा (रिटेल) टैरिफ निर्धारण	13 / 12 / 2024 18 / 04 / 2025

उक्त याचिकाओं के अतिरिक्त, छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्या. (CSPGCL), छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. (CSPTCL), छ.ग.राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) एवं छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. (CSPDCL) द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष निम्नलिखित याचिकाएं प्रस्तुत की गई है :–

अ. क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	संक्षिप्त विवरण	सरांश के प्रकाशन का दिनांक
1.	99/2024	CSPGCL	वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन हेतु	13 / 12 / 2024
2.	100/2024	CSPTCL	– तदैव –	18 / 12 / 2024
3.	101/2024	CSLDC	– तदैव –	14 / 12 / 2024
4.	102/2024	CSPDCL	– तदैव –	13 / 12 / 2024

आयोग द्वारा उक्त याचिकाओं पर आयोग के कोर्ट रूम में नीचे विनिर्दिष्ट तिथियों एवं समय पर जन–सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है:–

दिनांक	सुनवाई का समय	उपभोक्ता श्रेणी
19 / 06 / 2025 (गुरूवार)	दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक	घरेलू
	दोपहर 3:30 बजे से सांयः 5:00 बजे तक	गैर–घरेलू
20 / 06 / 2025 (शुक्रवार)	दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन एवं अन्य
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक	निम्नदाब उद्योग
	दोपहर 3:30 बजे से सांयः 5:00 बजे तक	समस्त उच्चदाब

उक्त याचिकाओं के साथ निम्नलिखित याचिकाओं पर भी जन सुनवाई की जावेगी :–

अ. क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	संक्षिप्त विवरण	सरांश के प्रकाशन का दिनांक
1.	55/2024	छ.ग.सोलर पॉवर जनरेटर्स एसोसिएशन्स	दिनांक 27/12/2023 के बाद सीओडी प्राप्त करने वाले सौर जनरेटरों पर लागू होने वाले ट्रान्समिशन चार्ज के युक्तिकरण हेतु	15/01/2025
2.	87/2024	सेन्ट्रल सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज	दिनांक 27/12/2023 के बाद सीओडी प्राप्त करने वाले सौर जनरेटरों पर लागू होने वाले ट्रान्समिशन चार्ज के युक्तिकरण हेतु	18/01/2025
3.	91/2024	CSPDCL	नियंत्रण अवधि वर्ष 2022–23 से वर्ष 2024–25 हेतु अतिरिक्त पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन हेतु	13/12/2024
4.	75/2024	CSPDCL	वित्तीय वर्ष 2024–25 के टैरिफ ऑर्डर का पुनरीक्षण	13/12/2024

याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त याचिकाओं पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु याचिकाओं के सार को समाचार पत्रों में उपरोक्त दर्शाए गए दिनांक को प्रकाशित किया गया है। ये याचिकाएं आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** एवं याचिकाकर्ता के वेबसाइट पर याचिकाओं के सार प्रकाशन की दिनांक से उपलब्ध हैं। हितधारकों को उपरोक्त याचिकाओं पर आपत्ती/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु समुचित समय प्रदान किया जा चुका है तथापि हितधारक सुनवाई की तिथि तक अपने आपत्ती/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ती/सुझाव के साथ उक्त समय–सारिणी के अनुसार आयोग के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान प्रस्तुतीकरण देना चाहता है तो आयोग के सचिव को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त जन–सुनवाई की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसे आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** के माध्यम से सूचित की जाएगी।

सचिव